भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5016
01 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः बिहार में भूजल संसाधनों का उपयोग

5016. डॉ. संजय जायसवालः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने बिहार, विशेषकर पश्चिमी चंपारण जैसे जिलों में, जहां भूजल स्तर में गिरावट आ रही है, में भूजल संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए कोई योजना लागू की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजनाओं का ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): जल, राज्य का विषय है, इसलिए भूजल संसाधनों का सतत विकास और प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार, अपनी विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को सुगम बनाती है। सरकार ने बिहार राज्य सहित देश में भूजल संसाधनों के सतत विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

i. जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय भूजल बोर्ड (सी.जी.डबल्यू.बी.) भूजल मैपिंग, मॉनीटरिंग और विकास गतिविधियों के उद्देश्य से देश में भूजल प्रबंधन और विनियमन (जी.डबल्यू.एम.आर.) की एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना को लागू कर रहा है। इस योजना के तहत, वर्ष में चार बार भूजल स्तर की मॉनीटरिंग की जाती है। मानसून के बाद वर्ष 2023 के स्तर की तुलना दशकीय औसत स्तर (मानसून के बाद 2013-22 के स्तर का औसत) से करने पर यह ज्ञात होता है कि बिहार में मॉनीटर किए गए लगभग 37% कुओं में भूजल स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। पश्चिमी चंपारण के लिए, विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 50% कुओं में भूजल स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है।

ii. केंद्रीय भूजल बोर्ड ने देश भर में लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हुए नेशनल एक्वीफायर मैपिंग (एन.एक्यू.आई.एम.) परियोजना पूरी कर ली है, जिसमें बिहार राज्य में लगभग 90,567 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। पश्चिमी चंपारण सहित सभी जिलों के लिए एक्वीफायर मैप और प्रबंधन योजनाएँ तैयार की गई हैं और कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य एजेंसियों के साथ साझा की गई हैं। एन.एक्यू.आई.एम. के तहत तैयार किए गए एक्वीफायर मैनेजमेंट प्लान आपूर्ति पक्ष और माँग पक्ष दोनों हस्तक्षेपों का प्रस्ताव करती हैं।

iii. भूजल के आर्टिफ़िशियल रिचार्ज के लिए मास्टर प्लान- 2020 को केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा तैयार किया गया है और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा किया गया है, जिसमें देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और आर्टिफ़िशियल रिचार्ज संरचनाओं के निर्माण के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान की गई है, ताकि लगभग 185 बिलियन क्यूबिक मीटर (बी.सी.एम.) पानी का उपयोग किया जा सके। बिहार राज्य के लिए मास्टर प्लान में राज्य में लगभग 91 हजार संरचनाओं के निर्माण की सिफारिश की गई है।

iv. सरकार वर्ष 2019 से देश में जल शक्ति अभियान लागू कर रही है। जल शक्ति अभियान एक व्यापक अभियान है जिसके तहत विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के साथ मिलकर भूजल रिचार्ज और संरक्षण से संबंधित विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। जल शक्ति अभियान-2024 को देश के 151 जल संकटग्रस्त जिलों पर विशेष ध्यान देते हुए लागू किया गया था, जिसमें बिहार के 02 ऐसे जिले भी शामिल हैं। हाल ही में जल शक्ति अभियान-2025 का शुभारंभ किया गया है, जिसका विषय है 'जल संरक्षण के लिए जन कार्रवाई - सामुदायिक संपर्क को बढ़ावा देना'।

v. भारत सरकार द्वारा मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत की गई जिसका उद्देश्य बिहार सहित देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और पुनरुद्धार करना है। मिशन के तहत देश भर में लगभग 68,841 अमृत सरोवरों का निर्माण/पुनरुद्धार किया गया है, जिनमें से 2,613 बिहार में हैं।

vi. भारत सरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास घटक (पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी) जैसी अपनी योजनाओं के माध्यम से बिहार सहित राज्यों में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के निर्माण का समर्थन करती है।

vii. देश में भूजल विकास और प्रबंधन विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्य से जल शक्ति मंत्रालय के तहत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किया गया है। देश में भूजल के दोहन और उपयोग को केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा दिनांक 24.09.2020 के अपने दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार एन.ओ.सी. जारी करके विनियमित किया जाता है, जो पूरे भारत में लागू होते हैं।

viii. इस मंत्रालय ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को एक मॉडल बिल भेजा है, ताकि वे भूजल विकास के विनियमन के लिए उपयुक्त कानून बना सकें, जिसमें वर्षा जल संचयन का प्रावधान भी शामिल है। अब तक 21 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने भूजल कानून को अपनाया और लागू किया है, जिसमें बिहार भी शामिल है।

ix. राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बिहार सरकार ने बिहार, विशेषकर पश्चिमी चंपारण जैसे जिलों में भूजल संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए जल जीवन-हरियाली मिशन को लागू किया है। योजना के तहत की जाने वाली गतिविधियों में तालाबों/आहार/पाइन का पुनरुद्धार, कुओं का पुनरुद्धार और सोक पिट्स का निर्माण और कुओं व हैंडपंपों के पास रिचार्ज स्ट्रक्चर शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार के वर्ष 2015-16 से बिहार सहित पूरे देश में प्रति बूंद अधिक फसल (पी.डी.एम.सी.) योजना को लागू कर रहा है, जो माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से फार्म लेवल पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। अब तक पश्चिमी चंपारण सहित बिहार राज्य में माइक्रो इरिगेशन के तहत 32577 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है।

*****